XXXIX(a)BR(H)-11

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

प्रकरण क्रमांक निग0 357–तीन/10 जिला – मुरैना

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
10-12-14	प्रकरण का अवलोकन किया । यह निगरानी अपर आयुक्त, चंबल संभाग, मुरैना द्वारा प्रकरण क्रमांक 11अ/2008–00/निगरानी में पारित आदेश दिनांक 04.2.10 के विरूद्ध म0प्र0 भू–राजस्व संहिता, 1959 (जिसे आगे संहिता कहा जायेगा) की धारा 50 के तहत प्रस्तुत की गई है । 2– प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि अधीक्षक भू अभिलेख मुरैना द्वारा आवेदकों के पक्ष में दिनांक 28.2.08को नामांतरण आदेश पारित किया गया । इस आदेश के विरूद्ध अनावेदकों ने एस.डी.ओ. के समक्ष अपील पेश की जिसमें उन्होंने दिनांक 28.7.09 को स्थगन आदेश जारी किया । इस स्थगन आदेश के विरूद्ध आवेदकों ने कलेक्टर मुरैना के न्यायालय में निगरानी पेश की जो उन्होंने आदेश दिनांक 10.8.09 के द्वारा निरस्त की । इस आदेश के विरूद्ध प्रस्तुत निगरानी अपर आयुक्त ने आलोच्य आदेश द्वारा निरस्त की है । अपर आयुक्त के आदेश के विरूद्ध यह निगरानी इस न्यायालय में पेश की गई है । 3– आवेदक की ओर से विद्वान अधिवक्ता ने निगरानी मेमो में दिए गए तर्कों के आधार पर प्रकरण का निराकरण किए जाने का निवेदन किया गया है । 4– अनावेदक अधिवक्ता द्वारा तर्क दिया गया कि अनुविभागीय अधिकारी के समक्ष प्रकरण लंबित है, जहां गुणदोष पर प्रकरण का निराकरण होना है उन्होंने स्थगन आदेश पारित किया है जिसका उन्हें अधिकार है । 5– उभयपक्षों के तर्कों पर विचार किया एवं अभिलेख का अवलोकन किया । यह प्रकरण नामांतरण के संबंध में होकर अधीक्षक, भू–अभिलेख द्वारा नामांतरण प्रमाणित होने पर अनुविभागीय अधिकारी के समक्ष अपील की गई और अनुविभागीय अधिकारी ने स्थगन आदेश जारी किया । इस स्थगन के विरूद्ध	

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर

पुनरीक्षण प्रस्तुत किये गये जो अस्वीकार किये गये । अपर आयुक्त ने अपने आदेश में यह माना है कि स्थगन देना या न देना न्यायालय के विवेक पर निर्भर करता है और चूंकि प्रकरण में अंतिम निराकरण अभी होना है और दोनों पक्षों को अपना पक्ष रखने का पर्याप्त अवसर है । उन्होंने यह पाया है कि स्थगन के आधार पर प्रकरण को न्यायालय दर न्यायालय ले जाकर लंबित रखने का प्रयास किया जा रहा है जिससे कोई फायदा किसी को नहीं मिलना है । अतः उन्होंने यह निर्देश देकर कि आवेदकगण अपना पक्ष एस.डी.ओ. के समक्ष रखने के लिए स्वतंत्र हैं पुनरीक्षण को निरस्त किया है । यह सर्वमान्य सिद्धांत है कि स्थगन देना या न देना न्यायालय के विवेक पर निर्भर करता है और यदि विवेक का संवैधानिक तरीके से यह अवैध रूप से उपयोग किया गया हो तभी हस्तक्षेप संभव है अन्यथा नहीं । इस प्रकरण में ऐसी स्थिति नहीं है और जो आलोच्य आदेश है वह विधिसम्मत, उचित और न्यायिक होकर प्रकिया के अनुसार सुसंगत है जिसमें हस्तक्षेप की कोई आवश्यकता नहीं है ।

उपरोक्त विवेचना के आधार पर यह निगरानी निरस्त की जाती है तथा अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आदेश स्थिर रखा जाता है ।

उभयपक्षों को सूचना दी जाये एवं अधीनस्थ न्यायालय का अभिलेख वापिस किया जाये ।

सदस्य

न्यायालय :- श्रीमान् राजस्व मण्डल म0प्र0ग्वालियर

निग. 357-III/10

प्र0क्र0आर- - - - -थर्ड /10

श्री श्रीराम शर्मा अभिभाषक द्वारा आज दि० 26/3/10 को प्रस्तुत ।

अवर सचिव 26/03/10

राजस्व मण्डल म० प्र० ग्वालियर

26-3-10

1-पुष्पादेवी बेवा सुरेन्द्रसिहं

2-हरेन्द्रसिहं

3-हरवेन्द्रसिहं

पुत्रगण सुरेन्द्रसिहं दोनो ना0बा0सरपरस्त

मां पुष्पादेवी बेवा सुरेन्द्रसिहं

समस्त जाति ठा0नि0ग्राम बिण्डवा तह0

पोरसा जिला मुरैना म0प्र0

- - - आवेदक

बनाम

1-रामसियासिहं पुत्र बाबूसिहं

2-राजेन्द्रसिहं पुत्र बाबूसिहं

3-बीरेन्द्रसिहं पुत्र बाबूसिहं

4-मुस0सत्यवती बेवा बाबूसिहं

समस्त जाति ठा0नि0ग्राम बिण्डवा तह0

पोरसा जिला मुरैना म0प्र0

- - - अनावेदकगण